# विषय–सूची


| धारा | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | **अध्याय – प्रथम**<br>**प्रारम्भिकी** | |
| 1. | नाम, पता, विस्तार एवं प्रवर्तन | 1 |
| 2. | परिभाषाएँ | 1–2 |
| 3. | परिषद् की परिसंपत्तियाँ | 3 |
| | **अध्याय – द्वितीय**<br>**विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्** | |
| 4. | संरचना | 3–5 |
| 5. | परिषद् का गठन | 5 |
| 6. | परिषद का कार्यकाल | 6 |
| 7. | परिषद् के उद्देश्य | 6 |
| 8. | परिषद् के कार्य | 7–8 |
| | **अध्याय – तृतीय**<br>**पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य** | |
| 9. | अध्यक्ष | 8 |
| 10. | उपाध्यक्ष | 8 |
| 11. | सचिव | 8–9 |
| 12. | कोषाध्यक्ष | 9 |
| 13. | सदस्यगण | 9–10 |
| | **अध्याय – चतुर्थ**<br>**वित्त एवं लेखा** | |
| 14. | प्रक्रिया | 10 |
| 15. | सदस्यता एवं अंशदान | 10–11 |
| 16. | क्रीड़ा परिषद् की आय | 12 |
| 17. | क्रीड़ा कोष से व्यय | 12–13 |
| 18. | यात्रा एवं दैनिक भत्ता | 14 |

## अध्याय – पंचम
## नियुक्ति एवं दायित्व


| | | |
|---|---|---|
| 19. | पर्यवेक्षक | 15 |
| 20. | चयनकर्ता की नियुक्ति | 15 |
| 21. | चयनकर्ता के दायित्व | 15 |
| 22. | मैनेजर/प्रशिक्षक की नियुक्ति एवं दायित्व | 16–17 |
| 23. | प्रशिक्षक के दायित्व | 17 |
| 24. | खेल सहायक के दायित्व | 17–18 |
| 25. | स्टोर कीपर | 18 |
| 26. | ग्राउण्ड मैन | 18 |
| 27. | अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु कर्तव्य एवं दायित्व | 18–19 |
| 28. | अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु प्रतिभागी टीमों के कर्तव्य एवं दायित्व | 20 |


## अध्याय – षष्ठम्
## चयन समिति


| | | |
|---|---|---|
| 29. | गठन, कार्य एवं शक्तियाँ | 20–21 |


## अध्याय – सप्तम्
## अर्हताएँ


| | | |
|---|---|---|
| 30. | अन्तर्महाविद्यालयीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय/अखिल भारतीय प्रतियोगिताओं हेतु खिलाड़ियों की अर्हताएँ | 21 |
| 31. | विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं हेतु टीम के खिलाड़ियों की संख्या | 22–23 |
| 32. | विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित परिधान। | 23–24 |


## अध्याय – अष्टम्
## विविध


| | | |
|---|---|---|
| 33. | पुरस्कार | 24–25 |
| 34. | अन्तर्महाविद्यालयीय आयोजन हेतु दिशा–निर्देश | 25–27 |
| 35. | प्रायोजक हेतु नियम | 27 |


****

# विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्
# महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
# वाराणसी (उ0प्र0)
# नियमावली –2015

## प्रथम–प्रारंभिकी

**1. नाम, पता, विस्तार एवं प्रवर्तन :**

(क) इसका नाम विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् की नियमावली होगी। **इसे अंग्रेजी में** University Sports Council **कहेंगे।**

(ख) क्रीड़ा परिषद् का नाम विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् होगा, जिसका मुख्यालय विश्वविद्यालय के मुख्य (महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ) परिसर स्थित क्रीड़ा–परिषद् भवन होगा।

(ग) क्रीड़ा परिषद् के संविधान का विस्तार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं इससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालय/संस्थान होंगे।

(घ) यह संविधान विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् से अनुमोदन के पश्चात् कार्यपरिषद् की स्वीकृति के दिनांक से प्रभावी होगा।

**2. परिभाषाएँ :**

(क) **विश्वविद्यालय :** विश्वविद्यालय से तात्पर्य 'महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ' है एवं वर्तमान या भविष्य में इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयीय परिसर।

(क–1) **महाविद्यालय :** महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से सम्बद्ध समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय एवं इसके समकक्ष अन्य कोई संस्थान।

**(ख) इकाई/सदस्यता :** महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी परिसर तथा इसके अन्य परिसर यथा– एन0टी0पी0सी0 (शक्तिनगर) एवं गंगापुर (वाराणसी) और इससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालय (अनुदानित/राजकीय/स्ववित्तपोषित) इसके सदस्य/इकाई होंगे।

(ग) **परिषद् :** इससे तात्पर्य विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी है।

(घ) **खेल :** इससे तात्पर्य भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध विभिन्न खेल।

(ङ) **परिचर्चा :** इससे तात्पर्य संगोष्ठी/कार्यशाला एवं ऐसी प्रकृति के अन्य कार्य जो खेल एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी हों।

**3. परिषद् की परिसंपत्तियाँ :**

वर्तमान में परिषद् की निम्नलिखित परिसंपत्तियाँ हैं :

(क) जवाहरलाल नेहरू क्रीड़ांगन
(ख) जिम्नेजियम हॉल
(ग) चार कक्ष (दो शौचालय सहित)
(घ) दो स्टोर रूम
(ङ) इसमें समय–समय पर अन्य परिसम्पत्तियाँ सम्मिलित हो सकेंगी।

## द्वितीय–विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्

**4. संरचना :**

(क) क्रीड़ा परिषद्, विश्वविद्यालय परिनियम (संशोधन) की धारा 9.04 के अनुसार निम्नलिखित होगी :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | कुलपति | – | अध्यक्ष |
| (ii) | कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक आचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए | – | उपाध्यक्ष |
| (iii) | एक संकायाध्यक्ष चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए | – | सदस्य |
| (iv) | सम्बद्ध महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग का प्रभारी | –पदेन | सदस्य |
| (v) | सम्बद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए | – | सदस्य |
| (vi) | स्नातक महाविद्यालय का एक प्राचार्य चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए | – | सदस्य |
| (vii) | कुलपति द्वारा नामित शारीरिक शिक्षा विभाग की एक महिला अध्यापक चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए | – | सदस्य |

(viii) कुलपति द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के पूर्व वर्ष की भाँति (2014 & 2015) शारीरिक शिक्षा विभाग का एक–एक अध्यापक एक वर्ष के लिए – सदस्य

(ix) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात खिलाड़ी एक वर्ष के लिए – सदस्य

(x) सम्बद्ध महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा विभाग का एक उपाचार्य/सह आचार्य तथा एक प्राध्यापक/सहायक आचार्य चक्रानुक्रम में वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए

(xi) **खेल प्रशिक्षक चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए** –सदस्य संयुक्त सचिव

(xii) वित्त अधिकारी – सदस्य

(xiii) कुलसचिव – सदस्य

(xiv) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के **शारीरिक शिक्षा** विभाग का एक अध्यापक एक वर्ष के लिए –सदस्य सचिव

(ख) क्रीड़ा परिषद् का गठन/**बैठक** निम्नलिखित प्रकार से होगा :–

(i) **संयुक्त सचिव** (Jt. Secretary) **एक वर्ष के लिए**

(ii) परिषद् की बैठक कम से कम कोरम एक तिहाई होगा।

(iii) इसकी वर्ष में दो बैठकें हो सकती हैं या आकस्मिक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।

(iv) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य बुलाये जा सकते हैं।

**5. परिषद् का गठन :**

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् के गठन का प्रमुख दायित्व विश्वविद्यालय के कुलपति का होगा। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् का गठन विश्वविद्यालय परिनियम (समय–समय पर संशोधन) के अनुसार होगा, जिसका सचिव अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय के **शारीरिक शिक्षा** विभाग का स्थायी अध्यापक ही होगा।

**6. परिषद् का कार्यकाल :**

विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् के पदाधिकारियों, सदस्य सहित अन्य सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया एक वर्ष का होगा। विशेष तिथि में यदि कुलपति महोदय (अध्यक्ष परिषद्) चाहें तो परिषद् के पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा के बाद यह कार्यकाल और बढ़ा सकते हैं। परिषद् का कार्य–काल समाप्त होने पर उपर्युक्त ढंग से पुनः इसका गठन किया जायेगा।

**7. परिषद् के उद्देश्य :**

(क) विश्वविद्यालय परिसर एवं इससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के प्रतिभावान खिलाड़ियों (छात्र एवं छात्राओं) को खेलकूद के माध्यम से खेलों के उत्थान हेतु प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना।

(ख) खेलकूद जैसे **चित्ताकर्षक माध्यम से विद्यार्थियों** का सर्वांगीण विकास करना, खेलकूद के प्रति उनमें अभिरूचि पैदा करना तथा **खेलकूद स्तरोन्नयन** के लिए **सम्बन्धित** क्रियाकलापों का संचालन करना।

(ग) अर्न्तमहाविद्यालयीय एवं क्षेत्रीय तथा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना तथा समय–समय पर इसका आयोजन करना।

(घ) खेलों के उन्नयन हेतु परिचर्चा का आयोजन एवं इसमें भाग लेने हेतु प्रतिनिधि भेजना।

(ङ) विश्वविद्यालय खेलकूद का मैदान, बहुउद्देश्यीय हॉल, स्टेडियम एवं अन्य अधोसंरचना आदि का निर्माण, उनका रख–रखाव तथा क्रीड़ा सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना।

(च) महाविद्यालयों से प्राप्त क्रीड़ा अंशदान तथा अन्य **स्रोतों–खेल–मैदान** तथा प्रयोजकों द्वारा प्राप्त आय आदि, जो उसे विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त होगा, के द्वारा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना।

(छ) आवश्यकता पड़ने पर परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय से अतिरिक्त आर्थिक सहयोग प्राप्त कर उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति करना। यह भी सुनिश्चित करना कि क्रीड़ा

परिषद् के कोष से निर्गत धनराशि क्रीड़ा सम्बन्धी क्रियाकलापों व तत्सम्बंधी विकास कार्यों पर ही व्यय होगा।

**8. परिषद् के कार्य :**

(क) परिषद् परिसर एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के खेलकूद सम्बन्धी किसी भी व्यवस्था के प्रश्न पर अपना परामर्श एवं निर्देश देगी। यह परिसर एवं अन्तर्महाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित करेगी, उसकी पूरी अनुश्रवण करेगी तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली (खेल प्रकोष्ठ) द्वारा प्रस्तुत वार्षिक स्पोर्ट्स कैलेण्डर से तालमेल रखते हुए परिषद् परिसर एवं अन्तर्महाविद्यालयीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं को निर्धारित अवधि (कम से कम एक माह पूर्व) में आयोजित कराने का खेल पंचांग तैयार करेगी।

(ख) यदि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली (खेल प्रकोष्ठ) दायित्व प्रदान करे तो अनुकूल परिस्थितियों में क्रीड़ा परिषद्, क्षेत्रीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगी।

(ग) परिषद् अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विश्वविद्यालय की विभिन्न खेलों की टीमों के खिलाड़ियों के चयन एवं गठन की व्यवस्था करेगी। चयनित टीम के प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था करना, जिसका समय कम से कम **07 व अधिक से अधिक 15 दिन का होगा।**

(घ) परिसर एवं अर्न्तमहाविद्यालयीय, पूर्वी क्षेत्र अन्तर्विश्वविद्यालयीय एवं अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित वार्षिक स्तर पर क्रीड़ा सम्बंधी समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए वार्षिक बजट की स्वीकृति प्रदान करेगी।

(ङ) प्रत्येक टीम के लिए एक प्रशिक्षक **एवं** एक मैनेजर की व्यवस्था करना **अनिवार्य**।

(च) असामान्य स्थिति में पूर्ण टिकट/**तत्काल** अथवा वायुमार्ग द्वारा **पूरी** टीम को भेजे जाने की व्यवस्था करना।

(छ) प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय आवश्यकतानुसार स्मारिका का प्रकाशन कराना।

(ज) वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन कराना।

(झ) क्रीड़ा परिषद् सभी प्रकार के अन्तिम निर्णय को करेगी।

(ञ) खेल प्रतियोगिताओं के लिए यदि कोई प्रायोजक होंगे, तो उसे प्राप्त धनराशि को विश्वविद्यालय क्रीड़ा–कोष में जमा करना।

(ट) **प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा तथा विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव क्रीड़ा परिषद् की अनुमति से अन्यत्र भी कराया जा सकता है।**

## तृतीय – पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य

**9. अध्यक्ष :**

(क) कुलपति, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् के पदेन अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अधिकारी होंगे, जो परिषद् की नियमावली के अन्तर्गत खेलकूद सम्बन्धी सभी क्रियाकलापों पर नियंत्रण करेंगे।

(ख) क्रीड़ा परिषद् के सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे एवं परिषद् के सभी बैठकों में उपस्थित रहकर अपना संरक्षकत्व व दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।

(ग) परिषद् द्वारा पारित नियमों को ध्यान में रखते हुए परिषद् के सभी क्रियाकलापों का निरीक्षण करेंगे।

(घ) क्रीड़ा परिषद् की बैठक के दौरान मतदान की आवश्यकता पड़ने पर ''टाई'' की स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा।

**10. उपाध्यक्ष :**

(क) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समस्त दायित्वों का सम्पादन उपाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

**11. सचिव :**

(क) सचिव, विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होंगे।

(ख) अध्यक्ष की राय एवं उपाध्यक्ष की संस्तुति से सचिव परिषद् की बैठक बुलायेगा।

(ग) परिषद् द्वारा लिए गए समस्त निर्णयों का क्रियान्वयन करेगा।

(घ) परिषद् की ओर से सभी प्रकार का पत्र–व्यवहार करेगां परिषद् द्वारा स्वीकृत सभी निर्णयों पर परिषद् की ओर से हस्ताक्षर करेगा, किन्तु आन्तरिक पत्राचार पर उपाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

(ङ) प्रांगण का आरक्षण सिर्फ खेल प्रतियोगिताओं हेतु करेगा, अन्य उद्देश्यों हेतु क्रीड़ा–प्रांगण का आरक्षण नहीं किया जाएगा। आरक्षण हेतु उपाध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है।

(च) परिषद् की बैठकों की कार्यवृत्त अधिकतम दस दिनों में जारी करेगा।

(छ) प्रत्येक वर्ष के खेल एवं खिलाड़ियों का विवरण तथा उपलब्धियों का ब्यौरा निश्चित फार्मेट तैयार कर डाकुमेण्टेशन पुस्तिका बनायेगा।

(ज) अन्य ऐसे कार्य जो अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सचिव को सौंपे जायें।

## 12. कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी) :

(क) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष होंगे, जो परिषद् में एक सदस्य के रूप में रहेंगे।

(ख) महाविद्यालयों से प्राप्त क्रीड़ा–अंशदान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि का लेखा–जोखा रखेंगे।

(ग) अध्यक्ष/कुलपति की स्वीकृति के आधार पर कोषाध्यक्ष भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।

## 13. सदस्यगण :

(क) कुलपति महोदय द्वारा मनोनीत **क्रीड़ा परिषद्** के सदस्यगण परिषदृ की बैठकों में प्रश्नगत बिन्दुओं पर अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे।

(ख) मतदान की स्थिति उत्पन्न होने पर अतिथि सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा।

(ग) बैठक में भाग लेने के लिए बुलाये जाने पर सदस्यों को यात्रा भत्ता एवं मार्ग– व्यय तथा दैनिक भत्ता परिषद् से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

## चतुर्थ–वित्त एवं लेखा

### 14. प्रक्रिया :

(क) परिषद् **आगामी** बैठक में ''बचत खाता'' खोलेगी, जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी (परिषद् के पदेन सदस्य के रूप में कोषाध्यक्ष) द्वारा संचालित होगा। इस क्रीड़ा–कोष में सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय परिसर अतिरिक्त परिसर से प्राप्त अंशदान की धनराशि जमा की जायेगी। क्रीड़ा–परिषद् के लिए अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान या सहायता की धनराशि भी इसी कोष में जमा की जायेगी।

(ख) परिषद् द्वारा स्वीकृत वार्षिक बजट के आधार पर सचिव/उपाध्यक्ष की संस्तुति एवं अध्यक्ष (कुलपति) की स्वीकृति के पश्चात् धनराशि निकालने, आय की धनराशि जमा करने, प्रस्तुत बिलों की जाँच एवं भुगतान तथा आय–व्यय के **लेखा–जोखा** को रखने का कार्य क्रीड़ा परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष (वित्त अधिकारी) करेंगे।

(ग) आय–व्यय का सम्पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष 30 जून तक सभी सम्बद्ध इकाईयों को प्रेषित कर दिया जायेगा या इसको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(घ) सत्रान्त में क्रीड़ा परिषद् अपने आय–व्यय की सम्परीक्षा (ऑडिट) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी परिषद् के पदेन कोषाध्यक्ष के माध्यम से कराएगा।

### 15. सदस्यता एवं अंशदान :

(क) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर एवं इसके अतिरिक्त परिसर तथा इससे सम्बद्ध सभी महाविद्यालय इसके (सदस्य) इकाई के रूप में कार्य करेंगे।

(ख) विश्वविद्यालय **परिसर व** सम्बद्ध महाविद्यालय के सभी संस्थागत छात्र एवं छात्राएँ अपने परिसर/महाविद्यालय की इकाईयों के माध्यम से परिषद् के साधारण सदस्य होंगे।

(ग) व्यक्तिगत परीक्षार्थी परिषद् के सदस्य नहीं माने जायेंगे।

(घ) संस्थागत छात्रों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति, किसी भी महाविद्यालय का प्राध्यापक, अभिभावक, अधिकारी एवं विश्वविद्यालय के अध्यापक, कर्मचारी अथवा अधिकारी अन्तर्महाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकेंगे।

(ङ) समस्त संस्थागत एवं स्ववित्तपोषित छात्र एवं छात्राओं से परिसर/महाविद्यालयों द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित वार्षिक क्रीड़ा शुल्क प्रवेश के समय जमा कराया जायेगा। क्रीड़ा–शुल्क का वितरण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में 40 : 60 अनुपात के आधार से किया जायेगा। सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त परिसरों द्वारा निर्धारित धनराशि प्रति छात्र की दर से एकत्र कर प्रतिवर्ष बैंक ड्राफ्ट या क्रास चेक या नकद के द्वारा परिषद् के स्थायी कोष हेतु जमा करेंगे अथवा महाविद्यालयों द्वारा परिषद् का क्रीड़ा अंशदान, वार्षिक परीक्षाओं के परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ जमा किए जाने वाले परीक्षा शुल्क के साथ संलग्न कर अनिवार्य रूप से विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।

(च) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि परिसर/महाविद्यालयों द्वारा वार्षिक क्रीड़ा अंशदान जमा न करने की स्थिति में उनके वार्षिक परीक्षा आवेदन पत्रों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार न किया जाये।

(छ) वार्षिक क्रीड़ा शुल्क की अवशेष धनराशि **परिसर**/महाविद्यालय अपनी इकाई के क्रीड़ा–कोष में जमा करेंगे तथा खेलकूद से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय करेंगे।

(ज) परिसर/महाविद्यालय अपने क्रीड़ा–कोष का उपयोग **विश्वविद्यालय/महाविद्यालय क्रमशः** खेलकूद के अतिरिक्त किसी भी अन्य मद में **व्यय** नहीं करेंगे।

(झ) परिषद् का अंशदान प्रति छात्र (समय–समय पर संशोधन मान्य) प्रति सत्र की दर से परीक्षा फार्म के साथ न भेजने वाले महाविद्यालय को क्रीड़ा परिषद् द्वारा संचालित किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक दिया जायेगा। उनको अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता आयोजित कराने से भी रोका जा सकता है।

## 16. क्रीड़ा परिषद् की आय :

परिषद् को निम्नलिखित तरीकों से आय होगी :–

(क) सभी प्रकार के क्रीड़ा अंशदान जो प्रत्येक विद्यार्थी शुल्क के साथ जमा करता है।

(ख) परिषद् के किसी भाग, वस्तु का उपयोग यदि कोई अन्य संस्था/व्यक्ति करता है, तो प्राप्त धनराशि क्रीड़ा–कोष में जमा होगी। धनराशि का निर्धारण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या विश्वविद्यालय वित्त समिति द्वारा होगा।

(ग) किसी प्रायोजक द्वारा दी गयी धनराशि/वस्तु, परिषद् की आय या परिसम्पत्ति होगी। उस पर किसी प्रकार का दावा देयता का नहीं होगा।

(घ) किसी प्रकार का अनुदान जो खेलों के उन्नयन हेतु परिषद् को प्राप्त हो।

## 17. क्रीड़ा कोष से व्यय :

परिषद् अनुमानित आय के आधार पर निम्नलिखित व्यय मदों को ध्यान में रखकर अपना वार्षिक बजट प्रस्तुत करेगी :–

(क) अर्न्तमहाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजक महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान सहायता राशि निर्धारित अनुदान के पश्चात् कोई धनराशि नहीं दी जायेगी; अतिरिक्त धन स्वयं महाविद्यालय **वहन** करेगा।

(ख) अन्तर्विश्वविद्यालयीय **(पूर्वी क्षेत्र एवं अखिल भारतीय)** प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय की टीमों को भेजने पर आने वाला व्यय।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय/**राष्ट्रीय** स्तर पर विश्वविद्यालय की टीम/खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक/मैनेजर को भेजने पर आने वाला व्यय।

(घ) क्रीड़ा परिषद् के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का मार्ग–व्यय एवं दैनिक भत्ता पर होने वाला व्यय।

(ङ) चयनकर्ताओं, निर्णायकों, प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों एवं टीम के मैनेजर **को** विभिन्न देय भत्ते एवं पारिश्रमिक (मानदेय) पर होने वाला व्यय।

(च) किसी कर्मचारी के परिषद् के कार्य से की गयी यात्रा सम्बंधी भत्ते एवं मानदेय आदि का व्यय।

(छ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा सौंपे गये क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय किसी खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन पर होने वाला व्यय।

(ज) खेलकूद के आवश्यक सामानों की खरीद पर होने वाला व्यय।

(झ) खिलाड़ियों के लिए खेल वस्त्र (किट) एवं जूता/मोजा की खरीद पर होने वाला व्यय। इसके अतिरिक्त निर्धारित परिधान पर होने वाला व्यय।

(ञ) परिषद् की बैठकों में जलपान पर व्यय।

(ट) खिलाड़ियों को पुरस्कार देने हेतु सामग्रियों की खरीद पर व्यय।

(ठ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा आयोजित खेलकूद सम्बंधी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं अन्य संगठनों द्वारा खेलों के उन्नयन एवं विकास हेतु उक्त तरह के आयोजनों में अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद् की ओर से नामित व्यक्ति/पदाधिकारी के पंजीकरण शुल्क तथा दैनिक एवं यात्रा भत्ता पर होने वाला व्यय।

(ड) विश्वविद्यालय की विभिन्न टीमों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय।

(ढ) क्रीड़ा परिषद् के कार्यालय के स्टेशनरी, कार्यालयीय उपकरण आदि पर होने वाला व्यय।

(ण) भारतीय विश्वविद्यालय संघ (खेल), नई दिल्ली का सम्बद्धीकरण शुल्क।

(त) परिषद् की पूर्व अनुमति के आधार पर खेलकूद सम्बन्धी कोई भी व्यय।

(थ) क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियो/**टीम** तथा कोच/मैनेजर को पुरस्कार स्वरूप दिया जाने वाला व्यय, जिसका निर्धारण **क्रीड़ा परिषद्** द्वारा किया जायेगा।

(द) परिषद् द्वारा इनडोर एवं आउटडोर खेलकूद के रख–रखाव पर व्यय।

(ध) अन्य ऐसे व्यय जो परिषद् निर्णय करेगी।

(न) किसी भी प्रकार के व्यय के भुगतान हेतु सचिव/उपाध्यक्ष का अग्रसारण आवश्यक होगा।

## 18. यात्रा एवं दैनिक भत्ता :

(क) परिसर एवं अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं के आयोजन एवं ट्रायल में सम्बंधित महाविद्यालय अपने खिलाड़ियों एवं कोच/मैनेजर के यात्रा एवं दैनिक भत्ते के भुगतान करेंगे।

(ख) परिषद् के उपाध्यक्ष/सचिव को अर्न्तमहाविद्यालयीय सभी प्रतियोगिताओं में एक–एक बार आने जाने हेतु नियमानुसार कार द्वारा अनुमति रहेगी। इन्हें नियमानुसार दैनिक भत्ता भी देय होगा।

(ग) परिषद् के अन्य सदस्यों को अध्यक्ष विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् की अनुमति से यात्रा एवं दैनिक भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(घ) विश्वविद्यालय टीम के प्रशिक्षक/**संविदा प्रशिक्षक**/मैनेजर/टीम के साथ जाने **वाले कर्मचारी** एवं खिलाड़ियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता (समय–समय पर संशोधित) एवं मानदेय आदि देय होगा।

(ङ) विश्वविद्यालय की टीम, अर्न्तमहाविद्यालयीय एवं अन्तर्विश्वविद्यालयीय या अन्य अधिकृत प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालय के स्थायी **सक्षम शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद व्यवसायिक** को अग्रिम धनराशि उनके नाम से देय होगी। इसका व्यय विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जायेगा। देय अग्रिम धनराशि के समायोजन का दायित्व **सम्बंधित व्यक्ति का** होगा।

(च) सम्बद्ध महाविद्यालय के अध्यापक यदि कोच या मैनेजर के रूप में जाने के लिए अधिकृत किये जाते हैं, तो महाविद्यालय से आने एवं जाने हेतु कम से कम एक दिन का यात्रा/दैनिक भत्ता देय होगा, जिससे वे प्रपत्र पूरित करवाने, आरक्षण आदि की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें।

(छ) प्रशिक्षण शिविर में सम्मिलित होने हेतु महाविद्यालय के खिलाड़ियों को यात्रा–भत्ता का भुगतान सम्बंधित महाविद्यालय करेगा।

(ज) **एक सत्र में** प्रतियोगिता के दौरान टीम मैनेजर/प्रशिक्षक (कोच) को एक ही ट्रैक सूट देय होगा।

## पंचम्–नियुक्ति एवं दायित्व

**19. पर्यवेक्षक :**

(क) पर्यवेक्षक के रूप में परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी **सक्षम शारीरिक शिक्षा, खेल प्रशिक्षक एवं विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राध्यापक की** नियुक्त सचिव/उपाध्यक्ष की सहमति से होगी।

(ख) पर्यवेक्षक अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता चयन परीक्षण (ट्रायल) की शुचिता सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्णयों में पक्षपात या नियमों का उल्लंघन न होने पाये।

**20. चयनकर्ता की नियुक्ति :**

(क) अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं/चयन परीक्षण (ट्रायल) की शुचिता और निष्पक्षता बनाये रखने के लिए अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं हेतु परिषद् (सचिव/उपाध्यक्ष) चयनकर्ताओं को नियुक्त करेगी।

(ख) चयनकर्ता चयन करने हेतु निम्न प्राथमिकताओं को अवश्य ध्यान में रखा जाएगा।

(ख1) परिसर या महाविद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक।

(ख2) परिसर या महाविद्यालय में कार्यरत स्थायी खेल प्रशिक्षक।

(ख3) परिसर या महाविद्यालय में कार्यरत खेल प्रभारी (शारीरिक शिक्षा)।

(ख4) सचिव–विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी या बाह्य प्रशिक्षक अपने स्तर पर अध्यक्ष की अनुमति से बुला सकता है।

**21. (घ) चयनकर्ता के दायित्व :**

(क) विश्वविद्यालय टीम का निष्पक्ष रूप से चयन करना तथा इसकी गोपनीयता बनाये रखना।

(ख) आयोजन सचिव के साथ मिलकर खिलाड़ियों के योग्यता–प्रपत्र जाँचना।

(ग) चयनकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय टीम का चयन सूची एवं चयनित खिलाड़ी के योग्यता प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

(घ) चयनकर्ता **एवं पर्यवेक्षक** प्रतियोगिता की पूरी अवधि तक प्रतियोगिता स्थल पर बने रहेंगे।

(ङ) परिषद् द्वारा पारित नियमों के अन्तर्गत प्रतियोगिता को संचालित करवाना।

## 22. मैनेजर/प्रशिक्षक की नियुक्ति एवं दायित्व :

(क) विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के स्थायी प्राध्यापक/प्रशिक्षक, **प्रशासनिक पदाधिकारीगण (समकक्ष शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद व्यावसायिक) को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सचिव** की सहमति से नियुक्त किया जायेगा।

(ख) परिषद् के सचिव द्वारा उपाध्यक्ष के माध्यम से अध्यक्ष क्रीड़ा परिषद् द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने हेतु प्रशिक्षक/मैनेजर की नियुक्ति की जायेगी।

(ग) टीम मैनेजर को टीम के आने–जाने का पूरा अनुमानित व्यय, रेलवे रियायती टिकट (यदि सुलभ हो), **तत्काल टिकट** योग्यता–प्रपत्र आदि सचिव, परिषद् से प्रस्थान पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(घ) टीम मैनेजर को प्रतियोगिता से लौटने के **03 दिनों** के भीतर खेल और खिलाड़ियों के सम्बन्ध में अपनी प्रतियोगिता की रिपोर्ट के साथ व्यय का पूरा विवरण (बिल व बाउचरों के साथ) परिषद् को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त अवधि में शिथिलता मान्य होगी।

(ङ) यात्रा प्रारम्भ के पूर्व सभी खिलाड़ियों के परिचय–पत्र पर सचिव, क्रीड़ा परिषद् का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए और विश्वविद्यालय टीम के मैनेजर के रूप में प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के नाम परिचय–पत्र सचिव, क्रीड़ा परिषद् से अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। विशेष स्थिति में **संयुक्त सचिव**/उपाध्यक्ष द्वारा उक्त कार्य सम्पादित किया जायेगा।

(च) खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता, **(प्रशिक्षण शिविर एवं प्रतिभाग)** यूनिफार्म (किट) और ट्रैक सूट देने पर **विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् द्वारा देय प्रारूप राशि प्राप्ति** का हस्ताक्षर **(सचिव/उपाध्यक्ष द्वारा)** कराना अत्यन्त आवश्यक होगा।

(छ) प्रतियोगिता अवधि/प्रशिक्षण शिविर मे (यात्रा अवधि सम्मिलित) किसी खिलाड़ी/कोच/मैनेजर/परिचर के अस्वस्थ होने या चोटिल होने पर डॉक्टर का शुल्क, दवा का खर्च एवं अन्य सम्बंधित खर्च के व्यय की धनराशि भी परिषद् द्वारा देय होगी।

(ज) टीम मैनेजर और कोच द्वारा अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन सचिव से अपने पहुँचने और प्रस्थान करने का प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर अपने अग्रिम धन के समायोजन के साथ अवश्य संलग्न किया जायेगा।

(झ) मैनेजर/कोच अपनी टीम का मैच जिस दिन समाप्त हो जाए, उसके चौबीस घण्टे के भीतर अपनी वापसी यात्रा शुरू कर दें। अधिक दिनों तक बिना किसी अकाट्य कारण के रूकने पर मैनेजर, कोच और सभी खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता और मानदेय देय नहीं होगा। अकाट्य स्थिति **में** सचिव/उपाध्यक्ष का **निर्णय मान्य होगा।**

(ञ) **टिकट (ट्रेन/हवाई जहाज)** न होने की स्थिति में सचिव, क्रीड़ा परिषद् द्वारा अन्तिम निर्णय मैनेजर/कोच से संवाद कर लिया जायेगा। (अपने मोबाइल द्वारा, दूरभाष, ईमेल आईडी)

(ट) आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा मैनेजर/प्रशिक्षक को समुचित आवासीय व्यवस्था न होने पर सचिव/उपाध्यक्ष से मौखिक सहमति के पश्चात् लॉज/होटल में रुक सकेगा।

## 23. प्रशिक्षक के दायित्व :

**(क) विभिन्न खेलो के प्रशिक्षक अपने–अपने खेलों का अभ्यास करायेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्तर्महाविद्यालय/पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय हेतु चयन करके प्रशिक्षण–शिविर का आयोजन करेंगे।**

**(ख) समय–समय पर क्रीड़ा परिषद् (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव) द्वारा अपने खेलों के अतिरिक्त जिस खेलों/कार्यों का दायित्व दिया जायेगा उसका निर्वहन करेंगे।**

## 24. खेल सहायक के दायित्व :

(क) किसी भी खेल प्रतियोगिता/नियमित अभ्यास हेतु खेल मैदान को तैयार **करना**।

(ख) शिविरों के आयोजन में सम्बन्धित खेल के प्रशिक्षक का सहयोग करेंगे।

(ग) क्रीड़ा प्रांगण के मरम्मत एवं सुन्दरीकरण हेतु सुझावों को सचिव/उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(घ) क्रीड़ा प्रांगण की सुरक्षा के सझाव हेतु सचिव/उपाध्यक्ष को समय–समय पर अवगत करायेंगे।

(ङ) अन्य ऐसे कार्य जो परिषद् द्वारा समय–समय पर सौंपे **जाने पर उस कार्य का भी निर्वहन करेंगे**।

(च) **विश्वविद्यालय परिसर के आउटडोर एवं इनडोर गेम के स्थानों के रख–रखाव एवं सुव्यवस्था का भ दायित्व निर्वहन करेंगे। खेल मैदान एवं मानक के अनुसार फील्ड एवं कोर्ट का भी तैयारी करेंगे।**

**25. स्टोर कीपर :**

स्टोर कीपर परिषद् के समस्त क्रीड़ा सम्बन्धी वस्तुओं का भण्डारण एवं रख–रखाव करेगा। स्टोर कीपर परिषद् के उपाध्यक्ष/सचिव के द्वारा दिये गये कार्यों का भी निर्वहन करेगा। **स्टोर कीपर की अनुपस्थिति में उपरोक्त जिम्मेदारी कार्यालय प्रभारी की होगी।**

**26. ग्राउण्ड मैन :**

ग्राउण्ड मैन आउटडोर एवं इनडोर मैदान/कोर्ट की तैयारी में **उपाध्यक्ष/सचिव/** प्रशिक्षक/खेल सहायक के निर्देशानुसार कार्य करेगा।

**27. अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु कर्तव्य एवं दायित्व :**

अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता कराने वाली संस्था (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय) के निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व –

(क) प्राचार्य/निदेशक/प्रभारी द्वारा आवण्टित खेल के तिथि क्रीड़ा परिषद् से समन्वय स्थापित कर निर्धारित किया जायेगा।

(ख) तिथि निर्धारण के पश्चात् प्राचार्य/निदेशक/प्रभारी द्वारा सभी इकाई सदस्यों को उक्त तिथि के सम्बन्ध में अनिवार्य रूप से सूचना प्रेषित किया जायेगा।

(ग) प्राचार्य/निदेशक/प्रभारी द्वारा आयोजन सचिव को नामित किया जायेगा तथा इसकी सूचना सचिव–परिषद् को भी दिया जायेगा।

(घ) सम्बंधित आयोजक संस्था द्वारा प्रतिभागी टीम के मैनेजर/प्रशिक्षक/खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी।

(ङ) चयनकर्ता एवं पर्यवेक्षक के ठहरने की व्यवस्था भी आयोजक संस्था करेगी जिसके सम्बन्ध में क्रीड़ा परिषद् के नियम लागू होंगे।

(च) प्राचार्य/निदेशक/प्रभारी द्वारा सम्बंधित चयनकर्ता/पर्यवेक्षक को बुलाने हेतु आमंत्रण–पत्र प्रेषित किया जाएगा।

(छ) आयोजन सचिव समस्त टीमों के मैनेजर की एक बैठक प्रतियोगिता के एक दिन पूर्व करेगा, बैठक में फिक्सचर बनाया जाएगा और इसकी सूचना से आयोजन संस्था परिषद् को भी अवगत करायेगी।

**(ज) आयोजन सचिव द्वारा सभी खिलाड़ियों के योग्यता प्रपत्र (एलिजिबिलिटी प्रोफार्मा) की जाँच का चयनकर्ता के साथ किया जायेगा। जाँच का मानक भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली (ए0आई0यू0) के अनुसार (समय–समय पर संशोधित) होगा।**

(झ) आयोजन सचिव प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रतियोगिता समाप्त होने की तिथि से तीन दिन के भीतर सचिव, परिषद् को विस्तृत रूप से प्रेषित करेगा। चयन के परिणाम पर **पर्यवेक्षक, आयोजन सचिव** चयनकर्ता का हस्ताक्षर होगा एवं सम्बंधित प्रतिवेदन प्राचार्य द्वारा अग्रसारित किया जायेगा।

(ञ) आयोजन सचिव प्रतियोगिता समापित की अन्तिम तिथि को प्रतियोगिता समापन के उपरान्त चयन की अंतिम सूची चयन स्थल पर **उद्घोषित करेगा एवं** चस्पा करेगा।

**(ट) अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दी गई धनराशि को मदवार खर्च करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन अनिवार्य रूप से आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाऐ :–**

(i) **पर्यवेक्षक, चयनकर्ता एवं मैच आफिसियल्स का टी0ए0/डी0ए0/मानदेय।**

(ii) **जलपान/भोजन/टेंट आदि पर खर्च।**

(iii) **पुरस्कार/सम्मान हेतु खर्च।**

(iv) **खेल मैदान/कोर्ट का रेखांकन एवं स्टेशनरी आदि पर खर्च।**

**नोट :– खेल मैदान की मरम्मत एवं खेल सामग्री पर आवंटित धनराशि देय नहीं होगी।**

**– अन्तर्गहाविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय परिसर की टीम हेतु कोई प्रशिक्षण–शिविर का आयोजन नहीं होगा।**

**28. अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु प्रतिभागी टीमों के कर्तव्य एवं दायित्व :**

(क) **प्रतिभागी टीम के मैनेजर अपने महाविद्यालय के संस्थागत खिलाड़ियों का विवरण ए0आई0यू0 मानक के प्रपत्रों (योग्यता प्रपत्र/परिचय पत्र) में पूरित कर आयोजन सचिव के समक्ष जाँच हेतु जमा करेंगे।**

(ख) मैनेजर द्वारा अपने टीम के अनुशासन की पूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी तथा इस हेतु आयोजन सचिव का भी सहयोग करेंगे।

## षष्ठम्–चयन समिति

**29. गठन, कार्य एवं शक्तियाँ :**

(क) अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिता हेतु एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो खिलाड़ियों का अन्तिम रूप से चयन पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय प्रतियोगिता हेतु करेगी। चयन समिति में **पर्यवेक्षक, दो चयनकर्ता एवं आयोजन सचिव** सदस्य के रूप में होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय परिसर की टीम का चयन/ट्रायल के संदर्भ में **उपाध्यक्ष,** सचिव **एवं प्रशिक्षक** चयन समिति के **सदस्य** होंगे।

(ग) अर्न्तमहाविद्यालय स्तर पर खेलों के आयोजन के दौरान उत्पन्न विवादों का निपटारा सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता एवं पर्यवेक्षक की सदस्यता वाला ट्रिब्यूनल करेगा। इस 'ट्रिब्यूनल' का सदस्य सचिव पदेन आयोजन सचिव होगा।

(घ) चयन समिति के सदस्यों में सहमति न होने पर या अन्य विवाद जो चयन समिति से सम्बंधित हो, इसका निपटारा सचिव–विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद्, उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के माध्यम से करेगा।

(ङ) सभी अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिताएँ विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् द्वारा प्रस्तावित तिथि पर ही करायी जायेगी।

(च) अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में विश्वविद्यालय **परिसर** से सम्बन्धित एक प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक होगी, जिसकी नियुक्ति उपाध्यक्ष/सचिव द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से होगी। सुविधाएँ अन्य की तरह देय होंगी।

(छ) **अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग न करने की स्थिति में अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को प्रशिक्षक के सत्यापन के पश्चात् सीधे अन्तर्विश्वविद्यालय शिविर/टीम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।**

## सप्तम्–अर्हताएँ

**30. अर्न्तमहाविद्यालयीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय/अखिल भारतीय प्रतियोगिता हेतु खिलाड़ियों की अर्हताएँ :**

**(क) सभी खिलाड़ियों हेतु समय–समय पर संशोधित भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली (ए0आई0यू0) द्वारा पारित नियम मान्य होंगे।**

(ख) अनुशासनहीनता के आधार पर किसी फेडरेशन/मान्यता प्राप्त खेल संघों/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा निष्कासित या निलम्बित खिलाड़ी अनर्ह होंगे। अर्न्तमहाविद्यालय स्तर पर यह निर्णय ट्रिब्यूनल करेगी, अन्य परिस्थितियों में परिषद् निर्णय लेगी।

(ग) यदि कोई खिलाड़ी कहीं अन्यत्र खेलने जाता है तो वह खिलाड़ी द्वारा लिखित प्रमाण–पत्र सचिव के समक्ष देने या परिषद् कार्यालय में प्रस्तुत करने पर प्रतियोगिता में उसका नाम सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु ऐसी अनुमति उसके द्वारा दूसरे स्थान पर खेले जाने वाली खेल प्रतियोगिता का स्तर उच्च होने पर ही अनुमन्य होगी।

(घ) साक्षात्कार या कैम्प शिविर में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को भी बिन्दु (ग) की प्रक्रिया के अनुसार ही परिषद् सचिव के माध्यम से किसी प्रतियोगिता में नाम सम्मिलित करने की अनुमति दे सकती है।

(ङ) सेमेस्टर प्रणाली लागू होने से प्रतियोगिताओं पर परीक्षा का प्रभाव पड़ेगा। इस हेतु परीक्षा नियंत्रक, सचिव की अनुशंसा पर खिलाड़ियों के पक्ष में उचित निर्णय लेंगे।

(च) विश्वविद्यालय के नियमित छात्र **को** अभ्यास/प्रशिक्षण के लिए **प्रशिक्षक/ कार्यालय प्रभारी** के अनुसार खेल सामग्री देय **होगी।**

## 31. विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं हेतु टीम के खिलाड़ियों की संख्या :

(क) परिषद् भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा सत्रानुसार निर्धारित सभी खेलों में भाग लेने हेतु अर्न्तमहाविद्यालयीय/ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन करेगी। परिस्थिति एवं वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या घटाई जा सकती है।

(ख) सम्बन्धित फेडरेशन व भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा एकल/टीमों हेतु खिलाड़ियों की संख्या ही मान्य होगी।

(ग) **टीम की संख्या के अनुसार अन्तर्महाविद्यालयीय प्रतियोगिता/ट्रायल के आयोजन स्थल पर ही टीम का गठन कर दिया जाऐ एवं प्रत्येक खेल में छः (6) खिलाड़ियों की प्रतीक्षा सूची भी बना ली जाऐ। प्रशिक्षण शिविर में सभी खिलाड़ी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे परन्तु चोट लगने की स्थिति, अनुपस्थिति की स्थिति या किसी अन्य कारण से यदि टीम में स्थान रिक्त होता है तो प्रतीक्षा सूची से क्रमवार खिलाड़ियों का चयन टीम में किया जाऐगा।**

उदाहरणार्थ कुछ अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं हेतु निम्नांकित निर्धारित संख्या में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा–

| | | |
|---|---|---|
| क्रिकेट | पुरुष–16 | महिला–16 |
| हॉकी | पुरुष–18 | महिला–18 |
| फुटबाल | पुरुष–20 | महिला–20 |
| वॉलीबाल | पुरुष–12 | महिला–12 |
| बॉस्केटबाल | पुरुष–12 | महिला–12 |
| हैण्डबाल | पुरुष–16 | महिला–16 |
| कबड्डी | पुरुष–12 | महिला–12 |
| बैडमिन्टन | पुरुष–07 | महिला–04 |
| खो–खो | पुरुष–12 | महिला–12 |
| शतरंज | पुरुष–06 | महिला–06 |

टेबल टेनिस पुरुष–05 महिला–04

**कुश्ती**–प्रत्येक वजन में एक–एक महिला एवं पुरूष अलग–अलग (दो सुरक्षित किसी भी भार वर्ग में अतिरिक्त)।

**तैराकी**–प्रत्येक स्टाइल में एक (एक तैराक एक से अधिक इवेण्ट में प्रतिभाग कर सकता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के मानक के अनुसार)।

**एथलेटिक्स**–प्रत्येक स्पर्धा में दो खिलाड़ी (भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित मानक के अनुसार)। **पिछले वर्ष के आठवें स्थान होने पर दो खिलाड़ी ही स्पर्धा में भाग लेगा अन्यथा प्रत्येक स्पर्धा में एक खिलाड़ी का चयन होगा।**

**जूडो**– पुरूष–08 एवं महिला–07 (प्रत्येक स्टाइल में एक खिलाड़ी)।

**भारोत्तोलन**– पुरूष–08 एवं महिला–**09** (प्रत्येक भार वर्ग में एक खिलाड़ी)।

**शक्तिोलन**– पुरूष–08 एवं महिला–**09**

**बेस्ट फिजिक**– **पुरुष–08 एवं महिला–08**

**शरीर सौष्ठव**– **पुरूष–08 एवं महिला–09**

**तीरंदाजी**– पुरूष–05 एवं महिला–05

**ताइक्वाण्डो** पुरूष–08 एवं महिला–08

**क्रास कण्ट्री** पुरूष–09 एवं महिला–06

**नेटबाल** पुरूष–12 एवं महिला–12

**पिस्टल शूटिंग** पुरूष–04 एवं महिला–04

**राइफल** पुरूष–04 एवं महिला–04

**मुक्केबाजी**– (प्रत्येक भार वर्ग में एक–एक पुरूष एवं महिला)

## 32. विभिन्न खेलों के लिए निर्धारित परिधान :

(क) सभी खेलों हेतु फेडरेशन एवं भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा मान्य परिधान ही मान्य होंगे।

(ख) परिषद् विभिन्न खेलों हेतु खिलाड़ियों को कीट प्रदान करेगी।

(ग) परिषद् सभी खिलाड़ियों को (पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता हेतु ट्रैक सूट प्रदान करेगी)।

(घ) यदि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली द्वारा परिषद् को क्षेत्रीय अथवा अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व सौंपा जाता है, तो परिषद् अपनी बैठक कर प्रतियोगिता के आयोजन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यक्रम निर्धारित करेगी। आयोजन सचिव का दायित्व सचिव, क्रीड़ा परिषद् या अध्यक्ष द्वारा नामित विश्वविद्यालय का स्थायी **शारीरिक शिक्षा/स्थायी प्रशिक्षक, क्रीड़ा प्राध्यापक ही होगा।**

(ङ) प्रतियोगिता के सुचारू संचालन सम्बंधी व्यवस्था के दृष्टिगत परिषद् अपने सदस्यों के अतिरिक्त सम्बद्ध इकाइयों के **शारीरिक शिक्षा** प्राध्यापकों/**स्थायी प्रशिक्षक, क्रीड़ा परिषद्** तथा सम्बद्ध क्षेत्र के अन्यान्य कुशल एवं अनुभवी व्यक्तियों को प्रतियोगिता सम्बंधी विभिन्न दायित्व सौंप सकती है। चूँकि यह प्रतियोगिता सम्पूर्ण विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी, अतः अध्यक्ष–विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् की अनुमति आवश्यक होगी।

## अष्टम्–विविध

### 33. पुरस्कार :

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता खिलाड़ियों को नियमानुसार पुरस्कार दिया जायेगा, जो कि विश्वविद्यालय के निर्णय के अनुसार निम्नवत है–

(क) पूर्वी क्षेत्र/अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाली टीम/खिलाड़ियों का समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा प्रोत्साहन स्वरुप उचित पुरस्कार दिया जायेगा। इसका निर्धारण अध्यक्ष की अनुमति से होगा

(ख) सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी को होल्डर के रूप में कलर प्रदान किया जायेगा। यह पुरूष एवं महिला खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक एवं मैनेजर को ब्लेजर मोनोग्राम के रूप में अलग–अलग दिया जायेगा।

(ग) अन्तर्महाविद्यालयीय पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा प्रतिभाग करने वाले को महाविद्यालय को मोमेण्टो/शील्ड प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा।

**0 34. अर्न्तमहाविद्यालयीय आयोजन हेतु दिशा निर्देश :**

(क) क्रीड़ा परिषद् की प्रत्येक इकाई अपने यहाँ एक खेलकूद परिषद् का गठन करेगी, जिसका नियमावली महाविद्यालय तथा आवासीय इकाई की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होगा। सभी इकाईयाँ अपने यहाँ खेलकूद निधि बनायेंगी।

(ख) परिषद् द्वारा निर्धारित खेल पंचांग के आधार पर जिस इकाई को अर्न्तमहाविद्यालयीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन का दायित्व सौंपा जायेगा, वह प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाली टीमों के ठहरने की व्यवस्था करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य व्यवस्था प्रतिभागी टीम स्वयं करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा देय धनराशि (टोकन मनी) का व्यय आयोजक महाविद्यालय टेण्ट, मंच–सज्जा, साउण्ड सिस्टम, जलपान, आफिसियल खर्च (मानदेय एवं टी0ए0, डी0ए0), आतिथ्य सत्कार, पुरस्कार, स्टेशनरी आदि मदों में व्यय करेंगे।

(ग) इस इकाई का प्रवक्ता–शारीरिक शिक्षा/प्रभारी प्राध्यापक या प्राचार्य द्वारा नामित स्थायी प्राध्यापक प्रतियोगिता के आयोजन सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(घ) उक्त प्रतियोगिता के आयोजन हेतु विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में देगा। इसके अतिरिक्त शेष धनराशि सम्बंधित महाविद्यालय स्वयं वहन करेगा।

(ङ) आयोजन सचिव उक्त प्रतियोगिता सम्बन्धी सभी पत्र–व्यवहार करेगा।

(च) आयोजन सचिव सम्बद्ध इकाइयों द्वारा प्रेषित उनके सभी खिलाड़ियों की योग्यता प्रमाण–पत्र एवं जाँच–पत्र एकत्रित कर चयनकर्ता/पर्यवेक्षकों की सहायता से परिषदृ द्वारा निर्धारित मानक के आधार पर उसकी जाँच करेगा।

(छ) अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में निर्णायकों का दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता तथा मानदेय नियमानुसार आयोजक महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

(ज) जो अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगितायें तीन से ज्यादा दिनों तक चलेंगी वहाँ मानदेय धनराशि के भुगतान की अधिकतम सीमा पाँच दिन होगी।

(झ) आयोजन सचिव, पर्यवेक्षक एवं टीम मैनेजर की उपस्थिति में प्रतियोगिता के आयोजन हेतु टाई (फिक्सचर) डालेगा। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता के समापन के उपरान्त प्रमाण–पत्र दिल वाने की व्यवस्था करेगा। सभी आयोजन सचिव 15 दिनों के भीतर प्रमाण–पत्र तैयार कर परिषद् कार्यालय को सौंपेंगे।

(ञ) अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ अपने खिलाड़ियों के लिए किट, जर्सी और आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था स्वयं करेंगी।

(ट) सम्बद्ध सभी इकाइयों के प्राचार्य अपने महाविद्यालय से प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक सूचनाएँ, जो योग्यता प्रमाण–प्रपत्र में (इलिजीबिल्टी प्रोफार्मा) मांगी जाती है, हस्ताक्षरित कर प्रेषित करेंगे। योग्यता–पत्र में खिलाड़ियों के नाम तथा अन्य सूचनाएँ स्पष्ट अक्षरों में अंग्रेजी या हिन्दी देवनागरी लिपि में भरे होने चाहिए। भाषागत त्रुटियाँ होने पर अंग्रेजी ही मान्य होगा।

(ठ) किसी अर्न्तमहाविद्यालयीय एवं अर्न्तविश्वविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में क्रीड़ा परिषद् की ओर से दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र भी अंग्रेजी/हिन्दी में दिये जायेंगे।

(ड) किसी टीम के खिलाड़ियों के चयन का आधार उसका प्रतियोगिता के दौरान उत्तम प्रदर्शन होगा। कोई इकाई पूरी टीम नहीं भेज पाती है तो अपने कुछ खिलाड़ियों को ट्रायल के लिए विश्वविद्यालय टीम में चयन हेतु अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता के दौरान भेज सकती है।

(ढ) चयनकर्ताओं की रिपोर्ट या किसी कारणवश किसी खेल की अर्न्तमहाविद्यालयीय प्रतियोगिता का आयोजन समय पर न हो पाने के कारण क्रीड़ा परिषद् उपर्युक्त

स्थान पर खिलाड़ियों को बुलाकर चयनकर्ताओं की उपस्थिति में सेलेक्शन ट्रायल आयोजित कर किसी खेल के लिए विश्वविद्यालय टीम का चयन कर सकती है।

**35. प्रायोजक हेतु नियम :**

(क) परिषद् अपने संसाधनों के निमित्त नियमानुसार दूसरी संस्थाओं द्वारा खेल–प्रतियोगिताओं का प्रायोजक हो सकता है।

(ख) परिषद् द्वारा आयोजित किसी खेल प्रतियोगिता में कोई भी प्रायोजक हो सकता है। प्राप्त धनराशि परिषद् के क्रीड़ा–कोष में जमा की जायेगी।

| अध्यक्ष | उपाध्यक्ष | सचिव |
|---|---|---|
| विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् | विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् | विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद् |

सदस्य
विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद

**नोट :–उक्त के सम्बन्ध में आप अपने सुझाव दिनांक 14.08.2017 तक अवश्य विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद को प्रेषित करना चाहें।**